मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 444 / 2018 वाद

वरदी बाई पत्नी केशुराम गाडरी, आयु वयस्क, निवासी बोराखेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।

— वादीया

/ / बनाम / /

1. **निर्मल पिता बद्रीलाल ब्राह्मण, आयु नाबालिग जरिये सरपरस्त माता जसोदा पत्नी बद्रीलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी बोराखेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।**
2. **मु. जसोदा पत्नी बद्रीलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी बोराखेड़ी।**
3. **भगवतीलाल पिता नानुराम ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी बोराखेड़ी।**
4. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।**

— प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 रा.का.अधि.

प्रकरण में दिनांक 29.06.2018 को लोक अदालत में पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामें अनुसार वादीया का दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेड़ा को कमिश्नर नियुक्त करते हुए आदेश दिये गये थे कि प्रश्नगत आराजीयात वाके मौजा बोराखेड़ी की खाता संख्या 180 की आराजी नं. 847 रकबा 0.6200 हेक्टेयर का बंटवारा पक्षकारान के मध्य उनके राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जावे। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक / राजस्व / बी / 2, दिनांक 03.06.2019 द्वारा फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जो माफिक आदेशानुसार है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः वाद वादीया कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा बोराखेड़ी की खाता संख्या 180 की आराजी नं. 847 का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता हैः—

1— श्रीमती वरदी बाई पत्नी केशुराम गाडरी, निवासी बोराखेड़ी के रहेगीः—

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
847 पूर्वी	0.3700	7.03

2— श्रीमती जसोदा पत्नी बद्रीलाल ब्राह्मण, निर्मल पिता बद्रीलाल ब्राह्मण, भगवतीलाल पिता नानुराम ब्राह्मण के संयुक्त रहेगीः—

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
847 पश्चिमी	0.2500	4.75

उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 18.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.17 16:19:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: